न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 09/2018

RCMS No. 2018/00043

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगणः–**

1 सुरजसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली

1. ग्राम पंचायत चामुण्डेरी जरिये सरपंच
2. मृतक प्रतापसिंह के विधिक वारिश
2.1 विजयसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 84/1995–1996, संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.09.2001 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 421 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है, वहां पर प्रार्थी का रहवासीय मकान स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न तो ग्राम पंचायत के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के प्रस्ताव के अलावा अन्य समस्त प्रक्रियाओं/आदेशों पर दिनांक तक अंकित नहीं है, जो ग्राम पंचायत की प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाती है। किस दिनांक को आपत्ति जारी की गई, किस दिनांक को पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं किनके समक्ष आपत्ति इश्तिहार किस स्थान पर चस्पा किया गया, कोई भी उल्लेख नहीं है। जिन गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए है, उनकी उम्र कहीं भी दर्शित नहीं है एवं न ही किसी गवाह ने जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा होना दर्शाया है। जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है, वहां प्रार्थी का मकान बना हुआ है, यदि पंचों द्वारा समुचित मौका निरीक्षण किया जाता, तो स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती, किन्तु ऐसा नहीं किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की चेष्टा से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पारित पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 84/1995–1996, संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.09.2001 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 421 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 16.11.1995 को अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत चामुण्डेरी के समक्ष अपने रहवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर सरपंच द्वारा पत्रावली कायम करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 16.11.1995 को मिसल कायम की गई तथा सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात सचिव द्वारा नक्शा मौका प्रस्तुत करने पर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने हेतु मनोनीत किया गया। पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अस्थाई विक्रय करने का निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए, जिन्होने जैर अपील वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का मकान होना स्वीकार किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करते हुए नियम 157 के तहत 200/– रूपये जमा कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाता है, तो उससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 84/1995–1996, संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.09.2001 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 421 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली